भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1631

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

ईपीएफओ की आईटी प्रणाली में समस्याएं

1631. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों में बार-बार आने वाली समस्याओं का संज्ञान लिया है, यदि हां, तो उक्त समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने मामले की कोई जांच कराई है, यदि हां, तो सरकार द्वारा समस्याओं के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ईपीएफओ के आईटी बुनियादी ढ़ांचे में व्यापक सुधार करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उन्नयन कार्यों के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को प्रणाली की क्षमता के कारण अतिरिक्त कार्यभार तथा परिचालन संबंधी कठिनाइयों के संबंध में क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालयों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उक्त मुद्दों के समाधान के लिए राज्य-वार क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): ईपीएफओ ने एक व्यापक नैदानिक अध्ययन किया है, जिसके परिणामस्वरूप कई कदम उठाए गए हैं, जैसे भंडारण उन्नयन और विशिष्ट डेटाबेस सर्वर पोर्ट पर उच्च लोड में सुधार करना और प्रदर्शन ट्यूनिंग आदि, जिसके परिणामस्वरूप आईटी प्रणालियों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है।

जारी..2/-

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, जीवन को आसान बनाने और व्यापार को आसान बनाने के लिए मौजूदा अनुप्रयोगों में सॉफ्टवेयर संबंधी उपाय किए गए हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप, सदस्यों के दावों आदि जैसे विभिन्न लेनदेन अनुरोधों के संसाधन की गति में भी सुधार हुआ है। इसके अलावा, दावा प्रक्रिया में सरलीकरण से कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत मिली है क्योंकि अब वे अपने नियमित कार्य के दौरान अधिकांश कार्य पूरा कर लेते हैं।

ईपीएफओ 2.0 या केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली (सीआईटीईएस 2.01) के भाग के रूप में, 'फील्ड ऑफिस एप्लीकेशन' प्रक्रियाओं (दावे - ईपीएफ, ईडीएलआई, ईसीआर, वार्षिक लेखे, उपयोगकर्ता प्रबंधन, छूट का समर्पण) को केंद्रीकृत डेटाबेस के लिए नई सुविधाओं और कार्यात्मकताओं को शामिल करते हुए पुनर्विकसित किया गया है। पूरे भारत में ईपीएफओ के सभी पेंशनभोगियों के लिए सीपीपीएस (केंद्रीकृत पेंशन प्रक्रियान्वयन प्रणाली) सफलतापूर्वक शुरू कर दी गई है। अब पेंशनभोगी भारत में कहीं भी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। सदस्य प्रोफ़ाइल सुधार सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे सदस्य सीधे अपने विवरण को सही/ अद्यतन कर सकते हैं, जिससे नियोक्ताओं पर निर्भरता कम हो जाती है। इसके अलावा, ऑनलाइन अंतरण दावे को पूर्व या वर्तमान नियोक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करने की वर्तमान आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है।

ईपीएफओ 3.0 के भाग के रूप में, ईपीएफओ को भविष्य के लिए तैयार, सदस्य-केंद्रित और प्रौद्योगिकी-संचालित संगठन में बदलने के लिए हितधारक के साथ परामर्श आयोजित किए गए हैं।

*****